

राजस्थान सरकार
सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

विषय : संशोधित अनुप्रति योजना नियम- 2015 के नियम 7-
आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण की समय सीमा के सम्बंध में।
प्रसंग : विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13 ()ब.घो.12-13/अनु.यो.
/सान्याअवि/12/ 6901-35 दिनांक 11.2.15

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जारी संशोधित अनुप्रति योजना नियम- 2015 के नियम 7 आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण की समय सीमा में अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के छः माह की अवधि में आवेदन पत्र सम्बंधित जिले संस्थानों में छूट प्रदान करते हुए माह 31 मार्च 2015 तक आवेदन पत्र समय सीमा में छूट प्रदान करते हुए माह 31 मार्च 2015 तक आवेदन पत्र की ऑन लाईन करने की स्वीकृति निदेशक महोदय द्वारा दी गई है। उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। कृपया उक्त पत्र को समस्त जिलाधिकारी को ई-मेल एवं महेन्द्रा टैक के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में 31 मार्च 2015 तक आवेदन पत्र ऑन लाईन प्राप्त करने की कार्यवाही करवाये जाने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

10M 11/2/15
(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)

यू.ओ.नोट क्रमांक एफ 13()ब.घो.12-13/अनु.यो./सान्याअवि/12/
जयपुर, दिनांक: 11-2-15

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर,
मुख्यावास।

राजस्थान सरकार

सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-३/१, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांक: एफ १३ ()ब.घो.१२-१३/अनुप्रति यो./सान्याअवि/१२/
उपनिदेशक/सहायक निदेशक/ ६९०।-३५ जयपुर, दिनांक : ११/०२/२०१५
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग,

विषय : संशोधित अनुप्रति योजना नियम - २०१५ के नियम ७ -
आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण की समय सीमा के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जारी संशोधित अनुप्रति योजना नियम- २०१५ के नियम ७ आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण की समय सीमा - अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के छः माह की अवधि में आवेदन पत्र सम्बिधित जिले (अभ्यर्थी का गृह जिला) के जिलाधिकारी को ऑन लाईन किया जावेगा में वित्तीय वर्ष २०१४-१५ हेतु अभ्यर्थियों को ऑन लाईन आवेदन करने की समय सीमा छूट प्रदान करते हुए माह ३१ मार्च २०१५ तक आवेदन पत्र ऑन लाईन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में ३१ मार्च २०१५ तक ऑन लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार करते हुए नियमानुसार स्वीकृत करने की कार्यवाही करावें।

M ६१२१
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक